

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:- प.5(20)पपा/1994

जयपुर दिनांक:- 7 JUN 2017

अधिसूचना


राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 16) की धारा 7 एवं राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 16 जून, 2017 से 31 अगस्त, 2017 तक स्वच्छ जलाशय की मछलियों का विक्रय या वस्तु विनिमय के लिए प्रस्थापना करना या उसे अभिदर्शित करना तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित करती है।

आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग राज0।
4. व0 उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
8. महानिरीक्षक, आरक्षी, राजस्थान जयपुर।
9. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान जयपुर।
11. आयुक्त मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को विशेष राजपत्र में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित राजपत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को एवं आगुक्त मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित करें।
15. समस्त सहायक निदेशक, मत्स्य एवं जिला अधिकारी मार्फत आयुक्त मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, पश्चिमी रेलवे, प्रधान कार्यालय, मुम्बई/उत्तर रेलवे, चण्डीगढ़/पूर्वी रेलवे, कोलकाता/मत्स्य रेलवे, इलाहाबाद/दक्षिणी रेलवे चेन्नई।
17. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव